संख्याः /**XII-3**/2025/83(04)/2014(ई–18568)

प्रेषक,

मायाक्ती ढकरियाल,
अपर सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

मुख्य अभियन्ता, स्तर–1,
ग्रामीण निर्माण विभाग,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

ग्रामीण निर्माण अनुभाग देहरादूनः: दिनांकः नवम्बर, 2025

विषयः– ग्रामीण निर्माण विभाग के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2022–23, 2023–24 एवं 2024–25 में स्वीकृत नाबार्ड द्वारा वित्त पोषित प्रगतिरत ग्रामीण सड़क निर्माण योजनाओं हेतु वित्तीय वर्ष 2025–26 में धनराशि की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या–1757/निर्माण–07/बजट/2025–26, दिनांक 04.11.2025 के संदर्भ में तथा शासनादेश संख्या–223, दिनांक 23.03.2023, शासनादेश संख्या–234, दिनांक 28.03.2023, शासनादेश संख्या–470, दिनांक 04.08.2023, शासनादेश संख्या–56, दिनांक 05.02.2024, शासनादेश संख्या–658, दिनांक 06.10.2023, शासनादेश संख्या–176, दिनांक 04.03.2024, शासनादेश संख्या–384, दिनांक 05.07.2024, शासनादेश संख्या–724, दिनांक 29.11.2024, शासनादेश संख्या–64, दिनांक 05.02.2025, शासनादेश संख्या–151, दिनांक 11.03.2025, शासनादेश संख्या–175, दिनांक 24.03.2025, शासनादेश संख्या–179, दिनांक 25.03.2025 एवं शासनादेश संख्या–409, दिनांक 14.07.2025 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2022–23, 2023–24 एवं 2024–25 में स्वीकृत नाबार्ड द्वारा वित्त पोषित प्रगतिरत ग्रामीण सड़क योजनाओं हेतु चालू वित्तीय वर्ष 2025–26 में कुल धनराशि रू0 9,29,95,900/– **(रूपये नौ करोड़ उनतीस लाख पिचानवें हजार नौ सौ मात्र)** स्वीकृत करते हुए आपके निवर्तन पर रखने/नियमानुसार निम्न शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन व्यय किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैः–

(i) विभिन्न मदों में व्यय से पूर्व वित्त अनुभाग–1 के शासनादेश सं0–847/XXVII(1)/2016 दि0 26 जुलाई, 2016 द्वारा दिये गये दिशा–निर्देशों के आलोक में कार्यवाही सुनिश्चित की जाये। साथ ही सक्षम स्तर की अनुमति/यथास्थिति शासन का अनुमोदन प्राप्त कर ही विभिन्न मदो में व्यय किया जाय।

(ii) किसी भी शासकीय व्यय हेतु वित्तीय नियम संग्रह खण्ड–1 (वित्तीय अधिकारों का प्रतिनिधायन नियम), वित्तीय नियम संग्रह खण्ड–5 भाग–1 (लेखा नियम), आय–व्ययक सम्बन्धी नियम (बजट मैनुअल), उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति (प्रॅक्योरमेंट) नियमावली, 2017, सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के शासनादेश तथा अन्य सुसंगत नियम, शासनादेशों आदि का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

(iii) नियमानुसार एवं वास्तविकता के आधार पर ही धनराशि व्यय की जाय, कार्य की स्वीकृत लागत की सीमा तक ही धनराशि व्यय की जाय। कार्य की लागत से अधिक व्यय सृजित किये जाने पर सम्बन्धित का उत्तरदायित्व निर्धारित किया जाय।

(iv) निर्माण कार्य हेतु अनुमोदित दर अनुसूची (SOR) आधार पर गठित आंगणन का सक्षम/प्राधिकृत स्तर से परीक्षण एवं तदोपरान्त वित्तीय/प्रशासनिक और तकनीकी/प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त कर ही आहरण एवं व्यय किया जायेगा।

(v) बजट प्राविधान किसी भी लेखा शीर्षक/मद के अन्तर्गत व्यय की अधिकतम सीमा को ही प्राधिकृत करता

है. अतः बजट प्राविधान से अधिक किसी भी दशा में न तो व्यय किया जाय और न ही पुनर्विनियोग व अन्य माध्यम से अतिरिक्त बजट की प्रत्याशा में कोई व्यय भार/दायित्व सृजित किया जाय।

(vi) आपके निर्वतन पर रखी जा रही धनराशि का वितरण योजनाओं की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति के आधार पर जिन योजनाओं में धनराशि की आवश्यकता है, उन योजनाओं हेतु तत्काल धनराशि अवमुक्त की जाय। जिससे फील्ड स्तर पर बजट उपलब्ध न होने की स्थिति उत्पन्न न हो। कार्य की गुणवत्ता एवं कार्य को निर्धारित समय में पूर्ण किये जाने का सम्पूर्ण उत्तरदायित्व विभागाध्यक्ष पर निहित रहेगा।

(vii) आहरण वितरण अधिकारीं तथा कोषाधिकारी को अवमुक्त धनराशि का विवरण निर्धारित बी0एम0–प्रपत्र पर प्रत्येक माह प्रशासनिक विभाग एवं वित्त विभाग को उपलब्ध कराया जाना आवश्यक एवं अनिवार्य होगा।

(viii) अनारम्भ तथा कम प्रगति वाले कार्यो पर कदापि व्यय नहीं की जाय।अवमुक्त की जा रही धनराशि की नाबार्ड से प्रतिपूर्ति किया जाना सुनिश्चित किया जाय। तथा योजनाओं हेतु पूर्व एवं वर्तमान समय में अवमुक्त धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जाय।

(ix) आंगणनों का पुनः परीक्षण करते हुये उसकी सीमा तक ही व्यय किया जाना सुनिश्चित करे। आगणित धनराशि से अधिक व्यय सृजित किये जाने व आगणनों को पुनर्गठित किये जाना गम्भीर लापरवाही मानी जाएगी और अनियमित्ता के लिये दोषी अधिकारियों के विरूद्व नियमानुसार कार्यवाही सम्पन्न की जायेगी। भूमि मुआवजें का विभाग द्वारा वास्तविक आंकलन करते हुए राजस्व विभाग से सत्यापित कर नियमानुसार भुगतान की कार्यवाही की जायेगी।

(x) निर्गत की जा रही वित्तीय स्वीकृति का आवंटन पत्र कम्प्यूटर के माध्यम से जनरेट किया गया है आप भी अपने स्तर से अधिनस्थ आहरण वितरण अधिकारी को कम्प्यूटर के माध्यम से online बजट आवंटन करना सुनिश्चित करेंगे।

(xi) निर्गत की जा रही वित्तीय स्वीकृतियों से कराये जाने वाले कार्यों की सूचना सुराज, भ्रष्टाचार उन्मूलन एवं जन सेवा विभाग उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश सं0–1638/ XXX–1–12(25)2011, दि0–08 दिसम्बर, 2011 द्वारा अपेक्षित राज्य सरकार की वेबसाइट www.ua.nic.in तथा विभाग की वेबसाइट पर अनिवार्य रूप से प्रकाशित की जायेगी और उन्हें समय–समय पर अध्यावधिक किया जायेगा।

(xii) वित्त विभाग, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश सं0–1/287566/E–79713/09(150)2019 /XXVII(1)/2025, दिनांक 31 मार्च, 2025 में निर्गत दिशा–निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

2– उक्त सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2025–26 के स्वीकृत आय–व्ययक के सापेक्ष अनुदान संख्या–19 के लेखाशीर्षक 4515–अन्य ग्राम्य विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय, –103–ग्राम्य विकास–98 01–ग्रामीण सड़कें व ड्रेनेज विभाग में निर्माण कार्य–53–वृहद निर्माण के अन्तर्गत किया जायेगा। इस प्रयोजन हेतु Online Budget Allotment की हार्ड कॉपी भी संलग्न की जा रही है।

3. यह आदेश वित्त विभाग, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश सं0–1/287566/E–79713 /09(150)2019 /XXVII(1)/2025, दिनांक 31 मार्च, 2025 में दिये गये दिशा–निर्देशों के क्रम में जारी किये जा रहे है।

भवदीया,

Digitally signed by
Mayawati Dhakriyal
Date: 17-11-2025
16:25:41

(मायावती ढकरियाल)
अपर सचिव।

संख्याः (1)/XII-3/2025/83(04)/2014 (ई–18568), तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, कौलागढ़ रोड़, देहरादून।
2. सम्बन्धित वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड ।

3. सम्बन्धित जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
4. निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवायें उत्तराखण्ड 23 लक्ष्मी रोड देहरादून।
5. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग–4/नियोजन अनुभाग/वित्त अनुभाग–1, उत्तराखण्ड शासन।
6. निदेशक, बजट राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन सचिवालय, देहरादून।
7. वित्त अधिकारी, साईबर ट्रेजरी उत्तराखण्ड, 23 लक्ष्मी रोड, देहरादून।
8. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

Digitally signed by Rajeev Tiwary
Date: 17-11-2025 17:54:04

(राजीव तिवारी)
अनु सचिव।